राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.– 0141-2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 14(1)(57) ऑपन शेल्टर/जे.जे.एक्ट/बा.अ.वि./2014/86528 जयपुर, दिनांकः 31.12.2020

आदेश

विषयः– ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय के प्रभावी प्रबंधन एवं संचालन हेतु नवीन दिशा–निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 8779 दिनांक 12.05.2014 से ऑपन शेल्टर/आश्रय गृह के संचालन हेतु पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 43 के तहत संचालित ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय (बाल देखरेख संस्थान) के प्रभावी संचालन एवं प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते है–

1. ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय का उद्देश्य –

बालक/बालिका को दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करने, सड़कों पर निराश्रित छोड़े जाने से बचाने एवं अल्पावधि के लिए आश्रय प्रदान करने के लिये समुदाय आधारित सुविधा के रूप में ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय का संचालन करना।

2. लक्ष्य समूह –

2.1 18 वर्ष से कम आयु के सडक अथवा असुरक्षित स्थान पर रहने वाले या बेघर/परित्यक्त/भिक्षावृति/कचरा बीनने/नशे में संलिप्त या अप्रवासी या गुमशुदा या शोषित बालक/बालिका अथवा अनाधिकृत कच्ची बस्तियों में रहने वाले या हाशिये पर जीवन यापन करने वाले परिवार के बालक/बालिका।

2.2 ऐसे बालक/बालिका जिन्हें अल्पावधि के लिये आश्रय एवं संरक्षण के लिये बाल कल्याण समिति द्वारा प्रवेशित किया गया हो।

3. ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय में सुविधायें –

3.1 दिवस देखरेख (डे–केयर) में आने वाले बालक/बालिकाओं की तात्कालिक बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्नानघर एवं शौचालय की सुविधा, लॉकर, प्राथमिक चिकित्सीय सहायता, अनौपचारिक शिक्षा, मनोरजंन गतिविधियां, काउंसलिंग एवं जीवन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

3.2 अल्पावधि आवासीय सुविधा प्राप्त कर रहे बालक/बालिकाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 53 में परिभाषित विभिन्न प्रकार की पुनर्वासित सेवाओं से लाभान्वित करना।

4. ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय हेतु आधारभूत सुविधायें एवं प्रबंधन–

4.1 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था द्वारा ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय हेतु बाल संरक्षण सेवायें (सी.पी.एस.) के अध्याय 10 (बी) एवं निर्धारित संलग्नक में वर्णित आधारभूत सुविधायें सुनिश्चित की जायेगी।

4.2 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था द्वारा ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय के प्रभावी संचालन हेतु बाल संरक्षण सेवायें (सी.पी.एस.) के अन्तर्गत निर्धारित मानव संसाधन की नियुक्ति की जायेगी।

4.3 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय में मानव संसाधन की नियुक्ति के दौरान राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 62161 दिनांक 07.03.2017 से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

5. ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय में बालक/बालिका के प्रवेश माध्यम –

5.1 दिवस देखरेख (डे–केयर) हेतु बालक/बालिकाओं का प्रवेश ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय के कॉन्टेक्ट प्वाईन्ट/चाईल्ड लाईन सेवा–1098/स्वंयसेवी संस्था।

5.2 अल्पावधि के लिये आश्रय एवं संरक्षण के लिये संबंधित बाल कल्याण समिति।

6. ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय की भूमिका –

6.1 विषम परिस्थितियों में बच्चों को बाल मैत्री एवं संरक्षणात्मक वातावरण प्रदान प्रदान कर दीर्घकालिक आवासीय सुविधाओं से जोड़ने के लिये तैयार करने अथवा अन्य वैकल्पिक देखरेख सुविधाओं के जरिये पुनर्वास में रैफरल कार्य का सम्पादन।

6.2 बालक/बालिकाओं के लिये 24 घण्टे के वन–स्टॉप काईसेस इन्टरवेशन सेन्टर के रूप में कार्य सम्पादन कर उनकी समस्त प्रकार की बुनियादी आवश्यकताओं की अल्प अवधि में पूर्ति करना।

6.3 बालक/बालिकाओं के ऑपन शेल्टरं/खुला आश्रय से निरन्तर जुड़ाव के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना।

6.4 बालक/बालिकाओं की वर्तमान परिस्थितियों एवं संभावित जोखिम का आंकलन कर अपेक्षित हस्तक्षेप करना।

6.5 बालक/बालिकाओं की प्रतिभाओं की पहचान करना तथा जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व निर्माण करना।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

6.6 बालक/बालिकाओं को चारदीवारी के भीतर/बाहर खेले जाने वाले खेल, संगीत/सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन गतिविधियां एवं शहर के पिकनिक/सैर के स्थलों का भ्रमण कराना।

6.7 बालक/बालिकाओं के लिये सामुदायिक पुस्तकालय की सुविधा संचालित करना।

6.8 बालक/बालिकाओं के परिवारिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करना तथा परिवार में उनके पुनर्समेकन को सुगम बनाने के लिये परामर्श प्रदान करना।

6.9 बालक/बालिकाओं का फोलो–अप कर उनकी कुशलता को सुनिश्चित करना तथा विषम परिस्थितियां सामने आने पर सक्षम प्राधिकारियों के सहयोग से अपेक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित करना।

7. बालक/बालिकाओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं हेतु प्रक्रिया –

7.1 दिवस देखरेख (डे–केयर) में आने वाले बालक/बालिका –

7.1.1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक व्यवस्थाएं की जायेगी।

7.1.2 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय का संचालन जिला मुख्यालय के ऐसे स्थानों पर जहां लक्षित समूह में परिभाषित बालक/बालिकाओं बच्चों की संख्या अधिक है।

7.1.3 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा जिला मुख्यालय के कम से कम 03 निर्धारित स्थानों पर कान्टेक्ट प्वाईन्ट स्थापित किये जायेगें। जिला मुख्यालय के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों एवं यातायात/परिवहन आवागमन केंद्रों पर ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय एवं निर्धारित कान्टेक्ट प्वाईन्ट के संबंध में जानकारी प्रदर्शित की जायेगी।

7.1.4 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा निर्धारित कान्टेक्ट प्वाईन्ट के माध्यम से लक्षित समूह के बालक/बालिकाओं को चिन्हित कर दिवसीय देखरेख सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेगी।

7.1.5 विभिन्न माध्यमों यथा रोचक कहानियां/नुक्कड नाटक/अन्य मनोरंजक गतिविधियों के जरिये बालक/बालिकाओं को ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय पर लाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

7.1.6 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा कान्टेक्ट प्वाईन्ट के माध्यम से प्रवेशित होने वाले बालक/बालिकाओं का विवरण संधारित किया जायेगा जिसमें नाम आयु, लिंग, माता–पिता का नाम, फोटो, निवास स्थान, प्रवेश माध्यम, स्वास्थ्य स्थिति, आधार कार्ड का नम्बर (यदि उपलब्ध हो) एवं अन्य कोई विशेष विवरण दर्ज किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

7.1.7 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय में दिवस देखरेख सुविधा प्राप्त कर रहे बालक/बालिकाओं को 24 घंटे से अधिक समय हेतु रहने अथवा रात्रि आवास की आवश्यकता होने पर उन्हें संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

7.1.8 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय में बच्चों को बिन्दु संख्या 3.1 एवं 6 तथा बाल संरक्षण सेवायें (सी.पी.एस.) में निर्धारित सुविधाओं एवं गतिविधियों से जोड़ा जायेगा।

7.1.9 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा किसी भी परिस्थिति में किन्हीं बालक/बालिका को ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय की सेवायें प्राप्त करने से मना नहीं किया जायेगा।

7.2 अल्पावधि आवासीय सुविधा हेतु आने वाले बालक/बालिका –

7.2.1 बाल कल्याण समिति के आदेश से देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं को अल्पकालिक अवधि (1 वर्ष) के लिए निर्धारित पुनर्वासित सेवायें उपलब्ध कराई जायेगी।

7.2.2 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा ऐसे बालक/बालिका जिन्हें दीर्घकालिक अवधि (1 वर्ष से अधिक) के लिए देखरेख एवं आश्रय की आवश्यकता है, के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के लिये संबंधित बाल कल्याण समिति से उपयुक्त आदेश प्राप्त किये जायेगें।

7.2.3 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा ऐसे प्रवेशित बालक/बालिका की नियमानुसार प्रकरण पत्रावली संधारित की जायेगी जिसमें उनसे जुड़े व्यक्तिगत एवं प्रकरण संबंधी विवरण मय प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध होगें।

7.2.4 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा ऐसे बालक/बालिका की नियमानुसार काउंसलिंग करायी जायेगी तथा उनका जीवनवृत्त एवं व्यक्तिगत देखरेख कार्य योजना तैयार की जायेगी।

7.2.5 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा बालक/बालिका के प्रकरण में बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार केस–प्रबंधन किया जायेगा।

7.2.6 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा बालक/बालिका के प्रवेश के 24 घंटे के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

7.2.7 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा किसी भी परिस्थिति में किन्हीं बालक/बालिका को रात्रि आवास उपलब्ध कराने से मना नहीं किया जायेगा।

7.2.8 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा बालक/बालिका की विशेष आवश्यकता जैसे नशे की प्रवृत्ति, उनके असामान्य व्यवहार तथा अवसाद, अनैतिक गतिविधियों में संलिप्ता के विषयों पर विशेषज्ञों के परामर्श से आवश्यक हस्तक्षेप किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

7.2.9 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा प्रत्येक आवासित बालक/बालिका को उनकी आयु एवं रूचिनुसार संस्थान के भीतर या बाहर शिक्षण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जायेगा।

7.2.10 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा आवासित बालक/बालिका का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल (चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम/डी.बी.टी./सी.पी.–एम.आई.एस.) पर अपेक्षित जानकारी अपलोड की जायेगी तथा इसे अधिकतम साप्ताहिक स्तर पर अद्यतन किया जायेगा।

7.2.11 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय के मुख्य द्वार/प्रमुख स्थल पर बालक/बालिका की आपातकालीन स्थिति में सहायता हेतु राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, निदेशालय, बाल अधिकारिता विभाग, संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के पदाधिकारियों नाम, पद, संपर्क नंबर की सूची प्रदर्शित की जायेगी।

7.2.12 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा बालक/बालिका की निजता एवं गोपनीयता को संरक्षित रखा जाये।

7.2.13 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा किसी बालक/बालिका के गंभीर रोग से बीमार होने, उसके गुम होने/दुर्व्यवहार होने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल संबंधित बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को लिखित में सूचित करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

8. ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग एवं निरानी –

8.1 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आर्दश नियम, 2016 के अध्याय 06 एवं 09 में बाल देखरेख संस्थानों के प्रबंधन एवं बालक/बालिकाओं के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संबंधी प्रांसगिक प्रावधान लागू होगें।

8.2 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आर्दश नियम, 2016 के नियम 73 के अनुसार प्रकरण पत्रावली एवं नियम 77 में निर्धारित पंजिकाओं/रजिस्टर्स का संधारण किया जायेगा।

8.3 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था द्वारा अपनी बाल संरक्षण नीति जारी की जायेगी, जिसे में ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय में कार्य करने वाले प्रत्येक कार्मिक द्वारा अनिवार्यता से पालना की जायेगी।

8.4 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आर्दश नियम, 2016 के नियम 22(9) की पालना में ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा निर्धारित प्रारूप 29 में मासिक स्तर पर लाभान्वित बालक/बालिकाओं का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संबंधित बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

8.5 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा बालक/बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार, शोषण एवं उपेक्षा से बचाव हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 14989 दिनांक 23.07.2013 से जारी दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

8.6 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा संस्थागत देखभाल में शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 14658 दिनांक 23.07.2013 द्वारा जारी दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

8.7 ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय द्वारा राज्य सरकार के आदेश/दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांकः एफ 14(1)(57) ऑपन शेल्टर/जे.जे.एक्ट/बा.अ.वि./2014/86529-673 जयपुर, दिनांक 31.12.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
5. समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण, बाल कल्याण समिति।
6. लेखाधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
7. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।
8. समस्त सचिव/अधीक्षक/प्रभारी, ऑपन शेल्टर/खुला आश्रय।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक–II

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner